(वाद सं0–1778/2017)

16.07.2021

परिवादी, हरिशंकर राम, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, बिहार भू–जल सिंचाई योजना (BIGWIS) के अन्तर्गत लिये गये ऋण की सब्सिडी दिलाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि उसे बैंक से दो किस्तों में कुल पैंतालीस हजार रूपये ऋण प्राप्त हुआ था जिसमें बाईस हजार पांच सौ रूपये सब्सिडी थी। लेकिन बैंक द्वारा लिये गये ऋण में उसको कोई सब्सिडी नहीं दी गई। इसके विपरीत उसके बैंक खाता से सूद समेत कुल पैंसठ हजार छत्तीस काट लिया गया।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दिनारा, रोहतास व वरीय मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, नटवार, रोहतास के प्रतिवेदनानुसार ‘‘परिवादी श्री हरिशंकर राम द्वारा बिहार भू–जल सिंचाई योजना (BIGWIS) के अन्तर्गत ऋण हेतु आवेदन वर्ष–2011 में प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रखण्ड कार्यालय दिनारा द्वारा बैंक नटवार को अग्रसारित किया गया।

तत्पश्चात् परिवादी का पासबुक दिनांक–04.02.2012 को बैंक द्वारा खोला गया एवं सामग्री विवरण के अनुसार दो किस्तों में क्रमशः बाईस हजार पांच सौ रूपये एवं बाईस हजार पांच सौ रूपये, कुल पैंतालीस हजार रूपये, की राशि आवंटित किया गया। बैंक सत्यापन से ज्ञात हुआ कि ऋण प्राप्ति के उपरांत ग्राहक यथा परिवादी द्वारा एक भी किस्त बैंक को नहीं चुकाया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2016 में बैंक ने अपनी शक्ति (Right to set off) का प्रयोग करते हुए परिवादी के बचत खाता से ब्याज सहित मूलधन NPA Loan खाता का समायोजन कर लिया। बैंक ने ऋण देने के बाद 2016 में सब्सिडी के लिए

NABARD से पत्राचार किया जो नियमानुकुल नहीं है। यदि ऋण स्वीकृति के समय सब्सिडी की मांग की जाती तो परिवादी को सब्सिडी राशि मिलने की संभवना थी, परन्तु योजना बंद हो जाने के कारण परिवादी को सब्सिडी नहीं मिल सका। साथ ही बैंक का कथन है कि सब्सिडी किसी का अधिकार नहीं है।''

परिवादी का कथन है कि जब उसे अपने लिये गये ऋण का किस्त चुकाने हेतु बैंक से नोटिस प्राप्त हुआ तो उसने इस संबंध में बैंक जाकर अपने बचत खाता से किस्त की राशि काटने का अनुरोध बैंक के शाखा प्रबंधक से किया, लेकिन शाखा प्रबंधक ने उसके बचत खाता से किस्त की राशि को नहीं काटा। परिवादी का यह भी कथन है कि बैंक के शाखा प्रबंधक को दिनांक–04.02.2012 को ही सब्सिडी हेतु NABARD से पत्राचार करना चाहिए था लेकिन संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा वर्ष 2016 में NABARD से सब्सिडी हेतु पत्राचार किया गया जिस कारण उसे सब्सिडी नहीं मिल पायी। परिवादी का यह भी कथन है कि शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक के लापरवाही के कारण ही वह सब्सिडी का लाभ पाने से वंचित रह गया।

जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के प्रतिवेदन के अवलोकन तथा परिवादी के कथन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी को सब्सिडी का लाभ संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक के बिलंब से सब्सिडी हेतु NABARD से पत्राचार करने के कारण ही नहीं मिल पाया। **तत्कालीन शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, नटवार शाखा के इस कृत्य से उनके पदीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही परिलक्षित होता है।**

राज्य आयोग तत्कालीन शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, नटवार शाखा के उक्त कृत्य पर क्षोभ व्यक्त करता है।

उक्त परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामला को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के प्रतिवेदन (पृ0–63–50/प0) व परिवादी के

परिवाद पत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ व यथोचित कार्रवाई हेतु **क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, पटना को प्रेषित करते हुए परिवादी को तद्नुसार सूचित कर दिया जाय।** साथ ही साथ उपरोक्त के संबंध में सूचनार्थ जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को भी पत्र प्रेषित कर दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक